न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–102/2023 दायर दिनांक: 13.06.2023
GCMS NO:- 2023/160 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

हीराबाई बेवा रामनाथ उर्फ लोडक्या जाति बैरवॉ नि0 गोडसा तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–प्रत्यार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।

निर्णय दिनांक 22.05.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कालामाल तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 112 के अनुसार खसरा नम्बर 242, 243, 246 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3996 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्या के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। इस प्रकार ग्राम कालामाल की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 207 के अनुसार खसरा नम्बर 238 रकबा 0.0485 हैक्टयर किस्म गै.मु0 चाह स्थित है। उक्त गै0मु0 चाह प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्या के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त का है। इस प्रकार ग्राम कालामाल की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 113 के अनुसार खसरा नम्बर 235, 237, 241, 245 कुल किता 4 कुल रकबा 0.6391 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्या के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्यष आ. कंवरा व परिवार के अन्य व्यक्तियों के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्या का संयुक्त हिस्सा 1/24, चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया के पति का हिस्सा 1/48 एवं चरण संख्या 3 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीया के पति का हिस्सा 1/12 निहित है। उक्त भूमियां प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्या आ0 कंवरा की पुश्तेनी भूमि है।

यह कि प्रार्थीया के पति का वास्तविक नाम रामनाथ है और बोलचाल की भाषा मे गांवके व्यक्ति लोडक्या भी कहते है जिससे राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड मे अमल करते समय प्रार्थीया के पति का नाम रामनाथ के स्थान पर लोडक्या गलत दर्ज कर देने से उक्त भूमि का प्रार्थीया के नामा फौती नामान्तरकरण नही खुल पा रहा है जबकि अन्य आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता मे प्रार्थीया के पति का नाम रामनाथ दर्ज हो रहा है जिससे प्रार्थीया को भूमि से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड रहा है जबकि प्रार्थीया के पति रामनाथ उर्फ लोडक्या के अलावा गांव मे इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है इसलिए प्रार्थीया ने राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नाम लोडक्या पुत्र कंवरा को रामनाथ उर्फ लोडक्या आ0 कंवरा जाति बैरवॉ दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किये लेकिन अप्रार्थी ने साफ इंकार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि मे उसके पति का अंकित गलत नाम लोडक्या पुत्र कंवरा के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम रामनाथ उर्फ लोडक्या पुत्र कंवरा जाति बैरवॉ दर्ज करवाये जिसके आदेश प्रदान करने के अधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :– 1906 दिनांक– 05.5.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे बताया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे अंकित खाता संख्या 112, 113 व 207 की जमाबन्दी नकलों मे प्रार्थीया के पति के नाम लोडक्या का इंद्राज कंवरा के फौत हो जाने के बाद फौती इंतकाल से कंवरा के वारिसान के रूप मे दर्ज हुआ है जिसकी नामान्तरकरण संख्या 201, 157 व 169 है। प्रार्थीया के पति का इंतकाल हो चुका है तथा प्रार्थीया द्वारा उपलब्ध करवाये गए पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड मे प्रार्थीया के पति का नाम रामनाथ अंकित है। खाते मे दर्ज अन्य खातेदार जो इसके परिवार के है एवं ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनाथ और लोडक्या दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। आम बोलचाल की भाषा मे ग्रामीण रामनाथ को ही लोडक्या बोलते थे और इसी आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीया के पति का नाम लोडक्या दर्ज हो गया। इस नाम का गांव मे अन्य कोई व्यक्ति भी नही है जिससे उक्त जमाबन्दी की नकलों मे लोडक्या उर्फ रामनाथ करने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि मे उसके पति का अंकित गलत नाम लोडक्या पुत्र कंवरा के स्थान पर संशोधन करवाकर सही नाम रामनाथ उर्फ लोडक्या पुत्र कंवरा जाति बैरवॉ दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता प्रति मे प्रार्थीया के पति का नाम रामनाथ ही अंकित है तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमि मे लोडक्या उर्फ रामनाथ किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर ग्राम कालामाल मे स्थित खाता संख्या 112, 113 व 207 में दर्ज प्रार्थीया के पति का नाम ''लोडक्या'' के स्थान पर ''लोडक्या उर्फ रामनाथ' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 22.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां